

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 543/2011.....जिला.....सीकर.....

विवान—बजरंग लाल राकेश कुमार सीकर बनाम उपायुक्त अपील्स (तृतीय) जयपुर व सहायक आयुक्त सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	गम्बर व तार अहकाम जो हुक्म की तार में जारी हु
16.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>आशा कुमारी — सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री राकेश सेनी, प्रोपराईटर व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी पी औझा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक श्री जे. एन. शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेस्टी योजना, 2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 543/2011/सीकर विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 543/2011/सीकर जरिये विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">आशा 16.03.2015 (आशा कुमारी) सदस्य</p>	<span style="font-size: 2em;">16/03/</span> <span style="font-size: 3em; position: absolute; left: -10px; top: 0;">16/03/</span>